International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 840-842

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के वंचन एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन

संतोष कुमार यादव
जे.आर.एफ. (शिक्षाशास्त्र), शोध छात्र, शिक्षक शिक्षा संकाय, नेहरू ग्राम भारती, मानद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
प्रस्तुत अध्ययन ''माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के वंचन एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन'' है। प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है– लिंग के आधा पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के वंचन एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के वंचन की विमाओं एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना। प्रस्तुत अध्ययन में समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक शोध की सर्वेक्षणात्मक विधि को अपनाया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रतिदर्श इलाहाबाद जनपद के फूलपुर तहसील में स्थित विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों के उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा–11 एवं 12) पर अध्ययनरत 480 छात्र–छात्राओं से प्राप्त किया गया था। यह प्रतिदर्श स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि का प्रयोग करते हुये चयनित किया गया था जिसमें छात्र–छात्राएँ शामिल थे। अध्ययन में वंचन के मापन हेतु प्रो0 एस0के0 पाल, प्रो0 के0एस0 मिश्र एवं प्रो0 कल्पलता पाण्डेय द्वारा निर्मित डी0स्कूल का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण के लिए सह–सम्बन्धात्मक गुणांक विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये–

1. लिंग के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं वंचन में सार्थक ऋणात्मक सम्बन्ध है।
2. विद्यार्थियों की वंचन की विमा सामाजिक वंचन, संवेगात्मक वंचन, आर्थिक वंचन, शैक्षिक वंचन तथा पैतृक वंचन का शैक्षिक उपलब्धि से सार्थक धनात्मक सम्बन्ध है।

मूल शब्दः माध्यमिक स्तर, विद्यार्थी, वंचन एवं शैक्षिक उपलब्धि

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके बल पर व्यक्ति समाज और राष्ट्र को उन्नतिशील बनाता है। डॉ0 अम्बेडकर असमान शिक्षा नीति से बहुत दुःखी थे। वह समझते थे कि अस्पृश्यों की शैक्षिक स्थिति सुधारे बिना उनको मानवीय जीवन का स्तर प्राप्त कराना कठिन ही नहीं असम्भव है। डॉ0 अम्बेडकर ने 1928 में 'सायमन कमीशन' के समक्ष हन्टर कमीशन के लचर सुझाव को प्रस्तुत करते हुए कहा कि, ''इस बात का परिणाम यह निकला कि किसी भी अछूत छात्र का स्कूलों में प्रवेश ही नहीं दिया गया।''

फरवरी 1909 में श्रीमती एनी बेसेन्ट का मत था कि, ''असमान शिक्षा नीति ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा नीति है और वही एनी बेसेन्ट 1917 में कलकत्ता के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से अध्यक्षता करते हुए प्रस्ताव पारित करती है कि ''अस्पृश्यों के लिए स्कूलों में प्रवेश सम्बन्धी सभी प्रतिबंध हटाए जायें।''

गांधीजी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे और यह कहते थे कि हम प्रजातान्त्रिक उद्देश्यों को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक साक्षरता स्तर अपने मानक स्तर को प्राप्त न कर ले। उन बच्चों को मानवीय कसौटी पर हिंसा का शिकार मानते थे जिनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया हो। अस्तु गांधीजी ने इस बात पर बल दिया कि[1], ''राज्य को '7 से 14' वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।''

वंचन के दृष्टिकोण से 1950 में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लागू किया जिसमें यह उल्लेख है कि, ''10 वर्ष की अवधि की भीतर सभी बालकों को 14वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाये।''

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में नई शिक्षानीति के 'प्रोग्राम ऑफ एक्शन' के द्वारा शिक्षा में व्यापक सुधार लाने का प्रयास किया गया जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता प्रदान करने पर जोर दिया गया। वंचन के दृष्टिकोण से दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए 1974 में दिव्यांग बच्चों के लिए 'समावेशी शिक्षा योजना' का प्रस्ताव रखा गया। 1992 में भारत सरकार शिक्षा योजना 'सी.एस. आई.ई.डी.' समावेशी शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजना को लागू किया गया। जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तक सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा तथा जिनको सामान्य विद्यालयों में समस्या होगी उन्हें विशेष विद्यालय में डाल दिया जायेगा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के द्वारा 2008 तक सभी को प्राथमिक शिक्षा देने का कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल थे।1995 में वंचित छात्रों के नामांकन एवं विद्यालय में ठहराव हेतु मध्यान्ह भोजन योजना तथा 2001 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत् 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का नामांकन करना, सभी नामांकित बच्चों को 2007 तक कक्षा 5 एवं 2010 तक कक्षा 8 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूर्ण कराने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना सितम्बर 2005 के अनुसार भारत में 6–14 वर्ष आयु के बच्चों की संख्या 2007 में बताया गया कि देश में 1 करोड़ 35 लाख बच्चे स्कूल से वंचित है जिसमें 6.9% बच्चे 6–13 वर्ष आयु वर्ग के है तथा सबसे अधिक 20 प्रतिशत बच्चे मुस्लिम समुदाय के हैं।

''निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009'' जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में 01

अप्रैल, 2010 से 06–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू हो चुका है। विश्व में ऐसे बहुत कम देश हैं, जहाँ बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की राष्ट्रीय व्यवस्था लागू है। इस दृष्टि से यह अधिनियम भारत को प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की आधार भूमि उपलब्ध करा रहा है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय 2012–13 के लिए सर्वशिक्षा अभियान की 41 अरब 96 करोड़ 67 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गई। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थानों के सभी शिक्षकों को आगामी दो वर्ष में प्रशिक्षित किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत इस वर्ष 1 लाख 37 हजार वंचित समूहों के बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है। वंचन का तात्पर्य, ''किसी ऐसी वस्तु को हटा देने या अत्यधिक सीमित कर देने से है, जो वस्तु प्राणी के लिए अत्यधिक आवश्यक है।'' अर्थात् वंचन विद्यार्थियों के गरीबी, सामाजिक–आर्थिक स्तर, शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षिक विकास में से किसी भी रूप में सुविधारहित होने से है। वंचन, किसी न किसी रूप में बालक या व्यक्ति द्वारा उन सभी सुविधाओं को नहीं प्राप्त कर पाना है जिनकी पूर्ति से वह समाज का एक सुयोग्य नागरिक बनकर स्वयं तथा राष्ट्र का विकास कर सकता है। ''अशिक्षित माता–पिता बच्चों की सुविधारहितता के लिए उत्तरदायी होते हैं।''[2] (लेवी एवं रिब्बल 1993)। रामाश्रे राय एक राजनीति शास्त्री मानते है कि, ''वंचन का प्रमुख कारण गरीबी है क्योंकि इसी कारण से शिक्षा ग्रहण करने में व्यक्ति लोगों की अपेक्षा अलगाव महसूस करता है।''[3] (सिन्हा, दुर्गानन्द, त्रिपाठी एवं मिश्रा गिरिशवार, 1982)।

वंचन का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव विभिन्न शोधों द्वारा इंगित होते हैं।, ''जिसमें शैक्षिक उपलब्धि पर गरीबी का असर, परिवारों के सामाजिक–आर्थिक स्तर के साथ सम्भव हो सकता है।''[4] (टोमोसव्सी0 स्टूवी 2007) सामाजिक– आर्थिक पृष्ठभूमि के विभिन्न घटकों और 10वीं कक्षा के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्ध पाया गया।[5] (गुप्ता एवं लामेरे 2010) सामाजिक–आर्थिक स्थिति तथा बौद्धिक स्तर के मध्य उच्च धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया। (गुप्ता, विशम्भर दयाल, 1963)।

आर्थिक स्थिति की कमजोरी बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है जिसमें शैक्षिक उपलब्धि पर आर्थिक कारकों का प्रभाव अधिक पाया गया।[6] (अतिफ युसूफ मकीद अलखुतबा 2013)।

समस्या कथन

''माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के वंचन एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का एक अध्ययन।''

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है–

1. लिंग के आधा पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के वंचन एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के वंचन की विमाओं एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है–

1. लिंग के आधा पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के वंचन एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के वंचन की विमाओं एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक शोध की सर्वेक्षणात्मक विधि को अपनाया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रतिदर्श इलाहाबाद जनपद के फूलपुर तहसील में स्थित विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों के उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा–11 एवं 12) पर अध्ययनरत 480 छात्र–छात्राओं से प्राप्त किया गया था। यह प्रतिदर्श स्तरीय यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि का प्रयोग करते हुये चयनित किया गया था जिसमें छात्र–छात्राएँ शामिल थे। अध्ययन में वंचन के मापन हेतु प्रो0 एस0के0 पाल, प्रो0 के0एस0 मिश्र एवं प्रो0 कल्पलता पाण्डेय द्वारा निर्मित डी0स्कूल का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण के लिए सह–सम्बन्धात्मक गुणांक विधि का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

H_{01} लिंग के आधार पर उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं वंचन के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

सारणी 1: लिंग के आधार विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं वंचन के मध्य सह–सम्बन्ध गुणांक

लिंग	N	सह–सम्बन्ध गुणांक (r)	सार्थकता स्तर
विद्यार्थी	480	0-5794*	0.05
छात्र	240	0-5136*	0.05
छात्राएँ	240	0-6371*	0.05

*.05 स्तर पर सार्थक

सारणी संख्या 1 से स्पष्ट है कि विद्यार्थी, छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं वंचन के मध्य सह–सम्बन्ध गुणांक के मान क्रमशः –0.5794, –0.5136 तथा –0.6371 हैं, जो .05 स्तर पर सार्थक है।

शून्य उपपरिकल्पना 1 ''लिंग के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं वंचन में कोई सार्थक सह–सम्बन्ध नहीं है'' निरस्त की जाती है। अर्थात् लिंग के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं वंचन में सार्थक ऋणात्मक सम्बन्ध है अर्थात् विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं के वंचन में वृद्धि के साथ उनकी शैक्षिक उपलब्धि कम हो जाती है या वंचन की कमी होने पर उनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होगी।

$H_{04.4}$ उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं वंचन की विमाओं के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

सारणी 2: विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं वंचन की विमा के मध्य सह–सम्बन्ध गुणांक

संकाय	N	सह–सम्बन्ध गुणांक (r)	सार्थकता स्तर
सामाजिक वंचन	480	0.3105*	0.05
संवेगात्मक वंचन	480	0.2465*	0.05
आर्थिक वंचन	480	0.2610*	0.05
शैक्षिक वंचन	480	0.2344*	0.05
पैतृक वंचन	480	0.6048*	0.05

*.05 स्तर पर सार्थक

सारणी संख्या 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों की वंचन

की विमा सामाजिक वंचन, संवेगात्मक वंचन, आर्थिक वंचन, शैक्षिक वंचन तथा पैतृक वचनं का शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सह–सम्बन्ध गुणांक के मान क्रमशः 0.3105, 0.2465, 0.2610, 02344, 0.6048 हैं, जो .05 स्तर पर सार्थक है।

शून्य परिकल्पना 2 ''विद्यार्थियों की वंचन की विमा एवं शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक सह–सम्बन्ध नहीं है'' निरस्त की जाती है। अर्थात् विद्यार्थियों की वंचन की विमा सामाजिक वंचन, संवेगात्मक वंचन, आर्थिक वंचन, शैक्षिक वंचन तथा पैतृक वंचन का शैक्षिक उपलब्धि से सार्थक धनात्मक सम्बन्ध है अर्थात् विद्यार्थियों की वंचन की विमा सामाजिक वंचन, संवेगात्मक वंचन, आर्थिक वंचन, शैक्षिक वंचन तथा पैतृक वंचन में वृद्धि या कमी के साथ उनकी शैक्षिक उपलब्धि में कमी या वृद्धि पायी गयी।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये

3. लिंग के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं वंचन में सार्थक ऋणात्मक सम्बन्ध है अर्थात् विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं के वंचन में वृद्धि के साथ उनकी शैक्षिक उपलब्धि कम हो जाती है या वंचन की कमी होने पर उनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होगी।
4. विद्यार्थियों की वंचन की विमा सामाजिक वंचन, संवेगात्मक वंचन, आर्थिक वंचन, शैक्षिक वंचन तथा पैतृक वंचन का शैक्षिक उपलब्धि से सार्थक धनात्मक सम्बन्ध है अर्थात् विद्यार्थियों की वंचन की विमा सामाजिक वंचन, संवेगात्मक वंचन, आर्थिक वंचन, शैक्षिक वंचन तथा पैतृक वंचन में वृद्धि या कमी के साथ उनकी शैक्षिक उपलब्धि में कमी या वृद्धि पायी गयी।

सुझाव

वंचन एक महत्वपूर्ण चर है, जो कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव डालता है। अतएव शिक्षा को रोजगारपरक बनाकर छात्रों की सामाजिक–आर्थिक समस्या को कम किया जा सकता है। जिससे छात्रों की शैक्षिक स्थिति को अच्छा बनाया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन का परिणाम अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों तथा शैक्षिक प्रशासकों के लिए इस दृष्टि से उपयोगी है कि किसी भी छात्र के सामाजिक–आर्थिक स्थिति का प्रभाव उसकी शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के साथ अभिभावक, शिक्षक, समाज के अन्य व्यक्ति मित्रवत व स्नेहपूर्ण व्यवहार करें और उनकी हर समस्या का समाधान तार्किक ढंग से करें एवं इनके लियें वंचन रहित वातावरण उपलब्ध करायें।

सन्दर्भ

1. आर.बी.लाल (2012), 'शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त रस्तोगी प्रकाशन मेरठ ;पृ0 328।
2. लेवी, डी0 (1943), मैटरनल ओवर प्रोटेक्शन, न्यूयार्क कोलम्बिया।
3. सिन्हा, दुर्गानन्द, त्रिपाठी एण्ड मिश्रा गिरिश्वार (1982). डिप्राइवेशन इट्स सोशल रूट्स एण्ड साइकोलॉजिकल कान्सेक्वेंसेज, कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, पृ0 3
4. टोमोसव्सी स्टूवी (2007). पावर्टी एण्ड स्कूल एचीवमेण्ट : एन एडिशनल इण्डीकेटर फॉर सोशियो इकोनॉमिक स्टेट्स इन स्कूल एचीवमेन्ट स्ट्डीज'', इंस्टीट्यूट फार स्कूल डेवलपमेण्ट रिसर्च, मैगडालेना बुड्डीवर्ग, इंस्टीट्यूट फार स्कूल डेवलमेण्ट रिसर्च, पृ0 1–15
5. गुप्ता, पी0के0 एवं एबिनिया, लामरे (2010). ए स्ट्डी ऑफ एकेडेमिक एचीवमेण्ट इन रिलेशन टू सम साइको–शोसल वैरियबल्स ऑफ सेकेण्डरी स्कूल स्टूडेन्ट्स इन ईस्ट खासी हिल्स मेघालय, डिपार्टमेण्ट ऑफ एजूकेशन, स्कूल ऑफ एजूकेशन, नार्थ–ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग।
6. युसूफ, अतिक एवं अलखुतबा, मकीद (2013). इम्पैक्ट ऑफ द सोशियो एण्ड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ एकेडेमिक एचीवमेण्ट ऑफ सेकेण्डरी स्कूल स्टूडेन्ट्स : ए केस स्ट्डी ऑफ जोर्डन, इक्सेलेन्स इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजूकेशन एण्ड रिसर्च, वॉल्यूम–1, इश्यू–4, पृ0 262–272